



दिनांक 28.09.2026

प्रेस विज्ञापित 497 / 2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अमरोहा/थाना डिडौली

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 मोटर साइकिल
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक 27.09.2026 को थाना डिडौली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम चौबरिया चौराहा पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जावेद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना डिडौली पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद अमरोहा, मथुरा, के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना डिडौली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जावेद निवासी मोहल्ला प्रधानों वाला कस्बा जोया थाना डिडौली जनपद अमरोहा।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

~2~
जनपद रायबरेली/थाना बछरावां

- 06 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूट की घटना का अनावरण
- लूटी गयी पीली-सफेद धातु के आभूषण
- घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद

दिनांक 28.09.2026 को थाना बछरावां व एसओजी/सर्विलास की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 06 अभियुक्तों 1-सौरभ 2-आयुष कुमार उर्फ अन्शुमान 3-कृष्णा कुमार 4-अभय उर्फ हर्ष 5-राजनायक उर्फ विरेन्द्र 6-ओम उर्फ शुभम को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी पीली-सफेद धातु के आभूषण, घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.09.2026 को थाना बछरावां क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बछरावां पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बछरावां पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-सौरभ निवासी गुलाबखेड़ा थाना बछरावां जनपद रायबरेली हालपता-आवास विकास कालोनी सेक्टर-07 ब्लॉक-08 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ।
- 2-आयुष कुमार उर्फ अन्शुमान निवासी माल्दह चट्टी थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया हालपता-धनावर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ।
- 3-कृष्णा कुमार निवासी हाजीपुर बरवार थाना करौंदीकलां जनपद सुलतानपुर हालपता-आवास विकास कालोनी देवामऊ सुशान्त गोल्फ सिटी, लखनऊ।
- 4-अभय उर्फ हर्ष निवासी गदर्पुर थाना जहांगीराबाद जनपद बाराबंकी, हालपता-अवध बिहार कालोनी थाना सुशान्त गोल्फसिटी, लखनऊ।
- 5-राजनायक उर्फ विरेन्द्र निवासी सेवई धनावर थाना सुशान्त गोल्फसिटी, लखनऊ।

6-ओम उर्फ शुभम निवासी चकपिहानी थाना कैसरगंज जनपद बहराइच

हालपता-पीएम आवास योजना सेक्टर 07ए थाना सुशान्त गोल्फसिटी, लखनऊ।

बरामदगी

1-लूटी गयी पीली-सफेद धातु के आभूषण।

2-घटना में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार आदि।

➤ जनपद गोरखपुर/थाना गोरखनाथ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 22 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त नागेन्द्र को आजीवन कारावास व 22 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बुलन्दशहर/थाना औरंगाबाद (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना औरंगाबाद पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सलीम को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➤ जनपद बांदा/थाना कोतवाली देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304बी/498ए/316 भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मेन्द्र को सश्रम आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद रामपुर/थाना टाण्डा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद रामपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद रामपुर द्वारा थाना टाण्डा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376एबी/511 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मो0शरीफ को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- जनपद हापुड़/थाना हापुड़ नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 09 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद हापुड़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हापुड़ द्वारा थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/307/149/482 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त आसिफ को 09 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
